राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक– प.1(3)राज–6/2011/पार्ट /3 जयपुर, दिनांकः 16.10.2014

आदेश

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभागीय आयुक्त को उनके संभाग क्षेत्र हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त नियुक्त करती है।

यदि अवाप्ताधीन भू–क्षेत्र एक से अधिक संभाग में स्थित है तो जिस संभाग में अधिकतम अवाप्ताधीन भू–क्षेत्र हो, उस संभाग के संभागीय आयुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी/राजस्व मंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

सयुंक्त शासन सचिव